फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रहलादराय पिता छोगालाल खटीक निवासी मधुवन, चित्तौड़गढ़ वगैरा

बनाम

कस्तुरीबाई पत्नि पेमा जटिया निवासी लोहाना, तहसील भदेसर वगैरा

प्रकरण संख्या 125/2024 (विविध)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी प्रार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रकरण में दिनांक 06.03.2025 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। पूर्व पेशी दिनांक 07.11.2025 पर भी अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से उन्हें न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी वे आज उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी प्रार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल अपील प्र. सं. 124/2024 (रा.अ.) के संलग्न की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official